इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 696]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2010-पौष 9, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2010

क्र. 7692-406-इक्कोस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 इं महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतदृद्वारा सर्व-साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम कर्माक २७ सन २०१०

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०१० ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक ३० दिसन्यर, २०१० को प्रथम बार प्रकाशित किया गया.

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेत अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम

 इस अधिनियम का संक्षिप नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०१० है.

अनुसूचा संशोधनः मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक १ तथा उससे संबंधित प्रविद्यों के पश्चात, निम्नितिखत अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविद्या अंतःस्वाधित की जाएं, अर्थातः;—

अनु- क्रमांक	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजी निकाय का नाम	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति	मुख्य परिसर	अधिकारित
(१)	(२)	(\$)	(8)	(4)	(ξ)
"₹.	आईसेक्ट विश्वविद्यालय	आल इण्डिया सोसायटी फार इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी, भोपाल.	मध्यप्रदेश सोसायटी रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रिजस्ट्रीकृत सोसाइटी	आईसेक्ट विश्वविद्यालय, ग्राम-मेहदुआ, भोपाल- चिकलोद रोड, तहसील- गौहरगंज, जिला-रायसेन (म.प्र.).	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2010

इ. 7693-406-इक्कीस-अं-(प्रा.).— भारत के संविधान के अनुच्चेद 348 के खण्ड (3) के अनुसारण में मध्यप्रदेश निर्धा विस्वविद्यालय (स्वारण एसं संवारन) द्वितीय संत्रीभन अधिनयम, 2010 (क्रमांक 27 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्याल के प्राधिकार से एतद्वहार प्रकारित किया ज्ञावा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

MADHYA PRADESH ACT No. 27 of 2010.

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) DWITIYA SANSHODHAN ADHINIYAM, 2010.

First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 30th December, 2010.
An Act further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India as follows:—

This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Dwitiya Sanshodhan Adhiniyam, 2010.
 In the Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam

Short title.

Amendment of Schedule.

2. In the Schedule to the Madhya Pradesh Niji visiwaviuganya (culapana Nam-Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), after serial number 1 and entiries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

Serial No.	Name of Private University (2)	Name of Sponsoring body (3)	Mode of forming Sponsoring body (4)	Main campus (5)	Jurisdiction (6)